1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियमन, 2021 है।
- (2) ये 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परियोजना आयात विनियमन, 1986 की सारणी में क्रम सं. 3चच और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां परियोजना अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः--

क्रम संख्यां	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजक करने वाले प्राधिकारी
''3चचच	उच्च गति रेल परियोजना	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड।''।

3. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 230/1986-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल,1986 को भारत के राजपत्र, सं. सा.का.िन. 580(अ), तारीख तारीख 3 अप्रैल,1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2017-सीमाशुल्क, तारीख 23 जून, 2017 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.िन. 628(अ), तारीख 23 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 10/2021-Customs

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the 2^{nd} day of February, 2021.
- 2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the TABLE, after serial number 3FF and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Name of the Plant or Project	Sponsoring Authority
"3FFF	High Speed Rail Projects	National High Speed Rail Corporation Limited.".

3. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 230/1986–Customs, dated the 3rd April, 1986 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 580(E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended *vide* notification No. 24/2017–Customs, dated the 23rd June, 2017, published *vide* number G.S.R. 628(E), dated the 23rd June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 11/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम,